न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) निवाई जिला टोंक

(सरिता मल्होत्रा आर.ए.एस. सहायक कलेक्टर(फास्ट ट्रेक)निवाई द्वारा अध्यासित)

दावा संख्या :— 287/2009

दायर दिनांकः—20.08.2009

उनवान

1 देवा लाल पुत्र भूरा गुर्जर निवासी सेदरिया तहसील निवाई
2 जयनारायण पुत्र भूरा गुर्जर निवासी सेदरिया तहसील निवाई
3 श्योप्रताप पुत्र सुवा गुर्जर निवासी सेदरिया तहसील निवाई
4 रामस्वरूप पुत्र सुवा गुर्जर निवासी सेदरिया तहसील निवाई
5 गोरी पुत्री सुवा गुर्जर निवासी सेदरिया तहसील निवाई
6 कमला पुत्री सुवा गुर्जर निवासी सेदरिया तहसील निवाई
7 रामसहाय पुत्र ओंकार गुर्जर निवासी सेदरिया तहसील निवाई

—वादीगण

बनाम

1 प्रभुलाल पुत्र जगन्नाथ गुर्जर निवासी सेदरिया तहसील निवाई
2 हरजी पुत्र जगन्नाथ गुर्जर निवासी सेदरिया तहसील निवाई फोत
2/1 गीता पुत्री हरजी गुर्जर निवासी सेदरिया तहसील निवाई
2/2 सम्पति पुत्री हरजी गुर्जर निवासी सेदरिया तहसील निवाई
2/3 तुलसी पुत्री हरजी गुर्जर निवासी सेदरिया तहसील निवाई
3 श्योकिशन पुत्र प्रभु गुर्जर निवासी सेदरिया तहसील निवाई
4 सीताराम पुत्र प्रभु गुर्जर निवासी सेदरिया तहसील निवाई
5 देवराज पुत्र प्रभु गुर्जर निवासी सेदरिया तहसील निवाई
6 रामकिशन पुत्र हरजी गुर्जर निवासी सेदरिया तहसील निवाई
7 रामलाल पुत्र हरजी गुर्जर निवासी सेदरिया तहसील निवाई
8 हरिनारायण पुत्र जसवन्त गुर्जर निवासी सेदरिया तहसील निवाई फोत
8/1 तीजा बेवा हरिनारायण गुर्जर निवासी सेदरिया तहसील निवाई
8/2 रामभजन पुत्र हरिनारायण गुर्जर निवासी सेदरिया तहसील निवाई
8/3 गेन्दी पुत्री हरिनारायण गुर्जर निवासी सेदरिया तहसील निवाई
9 श्योकरण पुत्र जसवन्त गुर्जर निवासी सेदरिया तहसील निवाई
10 राधाकिशन पुत्र हरिनारायण गुर्जर निवासी सेदरिया तहसील निवाई
11 जयकिशन पुत्र हरिनारायण गुर्जर निवासी सेदरिया तहसील निवाई
12 रामअवतार पुत्र श्योकरण गुर्जर निवासी सेदरिया तहसील निवाई

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः—1. श्री गिरधर सिंह तंवर वादी अधिवक्ता
2. प्रतिवादीगण के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही

निर्णय

निर्णय दिनांक 20/8/24

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः—यह कि आराजी खसरा नम्बर 50 रकबा 2 बीघा 06 बिस्वा खसरा नम्बर 57 रकबा 15 बिस्वा खसरा नम्बर 58 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा खसरा नम्बर 60 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा खसरा नम्बर 64 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा खसरा नम्बर 66 रकबा 6 बीघा 08 बिस्वा खसरा नम्बर 69 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा खसरा नम्बर 72 रकबा 10 बीघा खसरा नम्बर 73 रकबा 2 बीघा 02 बिस्वा खसरा नम्बर 76 रकबा 2 बीघा 03 बिस्वा खसरा नम्बर 79 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा खसरा नम्बर 82 रकबा 05 बिस्वा खसरा नम्बर 83 रकबा 8 बीघा 03 बिस्वा खसरा नम्बर 246 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम रचकपुरा पटवार हल्का सैदरिया तहसील निवाई जिला टोंक में स्थित है जिसके वादीगण खातेदार काश्तकार है प्रतिवादीगण का उक्त भूमि से कोई सम्बध नही है लेकिन प्रतिवादीगण संख्या बल में

47E:\acem faisle\ACEM\Court\Faisl...

अधिक होने व झगडालू किस्म के होने के कारण वादीगण के ख0न0 50, 57, 60, 69, 76, 82, 83 पर नाजायज रूप से कब्जा करने पर आमदा हो रखे है क्योकि उक्त खसरा नम्बर के लगवा ही प्रतिवादीगण की भूमि है इस कारण प्रतिवादीगण वादी के उक्त खसरा नम्बर पर कब्जा करने पर आमदा है प्रतिवादीगण बाधा मजाहमत करते है खेतो में घुसकर फसल को नष्ट करते है फसल बौने जोतने का प्रयास करते है लिहाजा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाना विधि सगत व न्याय सगत है प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाया कि वे वादीगण के खेतो में जबरन घुसकर जमीन को नही बोये फसल को नही काटे वादीगण के कब्जे काश्त में किसी भी तरह की बाधा मजाहमत नही करे न तो वह स्वय करे और न ही परिवारजन नौकर ऐजेन्ट के द्वारा भी नही करे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादीगण की और से अबरार अहमद ऐडवोकेट का अभिभाषक पत्र जवाब वाद पत्र पेश किया गया। जवाब दावा अनुसार वाद वर्णित आराजीयात वादी और प्रतिवादीगण की शामलाती भूमि है जो ग्राम सैदरिया में है। उभयपक्षकारान ने भूमि का विभाजन सहमति से कर रखा है उसी अनुसार काबिज काश्त है परन्तु भूमि का सही बंटवारा नही होने से राजस्व रिकार्ड में खातेदारी वादीगण के नाम लग गई जिससे विवाद पैदा हो गया है। ग्राम रचकपुरा के के ख0न0 82 रकबा 5 बीघा का बिभाजन हो रखा है जिस पर पूर्वीतरफ प्रतिवादीगण और पश्चिमी की और वादीगण का कब्जा काश्त है ।राजस्व रिकार्ड में गलत अंकन हो जाने के कारण वादीगण सम्पूर्ण भूमि को हडपने की नियत से बुजुर्गो द्वारा किये गये बटवारे को नष्ट करते हुए बदनियति से यह वाद पेश किया है। ख0न0 50, 57, 60, 69, 76, 83 के मध्य प्रतिवादीगण के खेत है जो वादीगण के खेतो के आस पास है जिनके रकबे छोटे बडे हो रखे है। मूल विवाद पैमाईश का है और उस गलत पैमाईश की आड में प्रतिवादीगण अपने पूर्वजो के समय से चली आ रही कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग से वंचित करना चाहते है वादीगण इस दावे की आड में प्रतिवादीगण को बेदखल करने पर आमदा है । ग्राम सैदरिया व रचकपुरा में वादी और प्रतिवादीगण की शामलाती भूमि है। गोपाल की खातेदारी भूमि में वादीगण का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादीगण का 3/4 हिस्सा है न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुए इसी प्रकार विभाजित होनी चाहिए लेकिन राजस्व रिकार्ड में गलत अंकन हो जाने के कारण वादीगण ने झुठा दावा पेश किया है। वादीगण को भूमि पर किसी भी प्रकार की स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकार नही है। अतः जवाब वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण मय हर्जे खर्चे के खारिज फरमाया जावे।

जवाब वाद पत्र पेश होने पर तनकीयात कायम की गई

1 आया वादग्रस्त आराजीयात वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि है जिसमें वादीगण प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द करवाने के अधिकारी है।–वादीगण

2 आया प्रतिवादीगण ख0न0 82 के पूर्वी हिस्से पर गत 12 वर्षो से अधिक समय से काबिज चले आ रहे है दावा स्थायी निषेधाज्ञा चलने योग्य नही है।– प्रतिवादीगण

3 आया वादी नान जाईन्डर आफ पार्टीज के नुक्स पर खारिज किये जाने योग्य है–प्रतिवादीगण

प्रतिवादी संख्या 2 की फोत होने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया।
वादीगण की और से प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया गया। कायममुकाम की तलबी की
उभयपक्षकारान की बहस उपरान्त ता 2/3 व 8/1 ता 8/3 की और से अबरार अहमद एडवोकेट ने
गई। प्रतिवादी संख्या 2/1 वादी वकील ने बताया कि वादीगण में से पक्षकार की फोत हो चुका है
वकालतनामा पेश किया। बाबत रिकार्ड पर लिये जाने कायममुकाम मय वकालतनामा वादी
प्रार्थना पत्र आर्डर 22 रूल 3 गिरधर सिंह तंवर ने पेश किया। आर्डर 22 रूल 3 के जवाब हेतु बार
संख्या 8 व 1 की और से बाद जवाब पेश नही किया गया अतः आर्डर 22 रूल 3 का जवाब बन्द
बार अवसर दिये जाने के प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। वादी की और से संशोधित शीर्षक
किया गया। आर्डर 22 रूल 3 को बार बार आवाज दिये जाने के बाद भी असालतन वकालतन गैर
पेश किया गया। प्रतिवादीगण के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की गई।
हाजिर प्रतिवादीगण

वकील वादी की ओर से साक्ष्य पी.डब्लयु 1 प्रेमलाल, पी.डब्लयु 2 रामलाल के शपथ पत्र पेश किये गये। वकील वादी की ओर से आर्डर 7 रूल 14 के प्रार्थना पत्र पेश किये गये। वकील वादी की बहस प्रार्थना पत्र आर्डर 7 रूल 14 पर सुनी गयी। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया।

वकील वादी की ओर से एकतरफा बहस सुनी गयी। वकील वादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यो का दौहरान करते हुए निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 50 रकबा 2 बीघा 06 बिस्वा खसरा नम्बर 57 रकबा 15 बिस्वा खसरा नम्बर 58 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा खसरा नम्बर 60 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा खसरा नम्बर 64 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा खसरा नम्बर 66 रकबा 6 बीघा 08 बिस्वा खसरा नम्बर 69 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा खसरा नम्बर 72 रकबा 10 बीघा खसरा नम्बर 73 रकबा 2 बीघा 02 बिस्वा खसरा नम्बर 76 रकबा 2 बीघा 03 बिस्वा खसरा नम्बर 79 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा खसरा नम्बर 82 रकबा 05 बिस्वा खसरा नम्बर 83 रकबा 8 बीघा 03 बिस्वा खसरा नम्बर 246 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम रचकपुरा पटवार हल्का सैदरिया तहसील निवाई जिला टोंक में स्थित है जिसके वादीगण खातेदार काश्तकार है प्रतिवादीगण का उक्त भूमि से कोई सम्बध नही है लेकिन प्रतिवादीगण संख्या बल में अधिक होने व झगडालू किस्म के होने के कारण वादीगण के ख0न0 50, 57, 60, 69, 76, 82, 83 पर नाजायज रूप से कब्जा करने पर आमदा हो रखे है क्योकि उक्त खसरा नम्बर के लगवा ही प्रतिवादीगण की भूमि है इस कारण प्रतिवादीगण वादी के उक्त खसरा नम्बर पर कब्जा करने पर आमदा है प्रतिवादीगण बाधा मजाहमत करते है खेतो में घुसकर फसल को नष्ट करते है फसल बौने जोतने का प्रयास करते है लिहाजा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाना विधि संगत व न्याय संगत है प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाया कि वे वादीगण के खेतो में जबरन घुसकर जमीन को नही बोये फसल को नही काटे वादीगण के कब्जे काश्त में किसी भी तरह की बाधा मजाहमत नही करे न तो वह स्वय करे और न ही परिवारजन नौकर ऐजेन्ट के द्वारा भी नही करे।

एकतरफा बहस का समग्रता से चिन्तन मनन किया गया व सम्पूर्ण पत्रावली का समग्रतापूर्वक अवलोकन किया गया खसरा नम्बर 50 रकबा 2 बीघा 06 बिस्वा खसरा नम्बर 57 रकबा 15 बिस्वा खसरा नम्बर 58 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा खसरा नम्बर 60 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा खसरा नम्बर 64 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा खसरा नम्बर 66 रकबा 6 बीघा 08 बिस्वा खसरा नम्बर 69 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा खसरा नम्बर 72 रकबा 10 बीघा खसरा नम्बर 73 रकबा 2 बीघा 02 बिस्वा खसरा नम्बर 76 रकबा 2 बीघा 03 बिस्वा खसरा नम्बर 79 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा खसरा नम्बर 82 रकबा 05 बिस्वा खसरा नम्बर 83 रकबा 8 बीघा 03 बिस्वा खसरा नम्बर 246 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम रचकपुरा पटवार हल्का सैदरिया तहसील निवाई जिला टोंक में स्थित है जिसके वादीगण खातेदार काश्तकार है प्रतिवादीगण का उक्त भूमि से कोई सम्बध नही है लेकिन प्रतिवादीगण संख्या बल में अधिक होने व झगडालू किस्म के होने के कारण वादीगण के ख0न0 50, 57, 60, 69, 76, 82, 83 पर नाजायज रूप से कब्जा करने पर आमदा हो रखे है क्योकि उक्त खसरा नम्बर के लगवा ही प्रतिवादीगण की भूमि है इस कारण प्रतिवादीगण वादी के उक्त खसरा नम्बर पर कब्जा करने पर आमदा है

ऐसे में वादी की भूमि से प्रतिवादीगण का कोई सम्बध सरोकार नही है बावजूद उसके भी प्रतिवादीगण वादी की खातेदारी भूमि में मजाहमत करते हैं अतः न्यायालय वाद वादी बावत स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार करना उचित समझता है।

आदेश

फलतः वादीया का वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि खसरा नम्बर 50 रकबा 2 बीघा 06 बिस्वा खसरा नम्बर 57 रकबा 15 बिस्वा खसरा नम्बर 58 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा खसरा नम्बर 60 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा खसरा नम्बर 64 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा खसरा नम्बर 66 रकबा 6 बीघा 08 बिस्वा खसरा नम्बर 69 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा खसरा नम्बर 72 रकबा 10 बीघा खसरा नम्बर 73 रकबा 2 बीघा 02 बिस्वा खसरा नम्बर 76 रकबा 2 बीघा 03 बिस्वा खसरा नम्बर 79 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा खसरा नम्बर 82 रकबा 05 बिस्वा खसरा नम्बर 83 रकबा 8 बीघा 03 बिस्वा खसरा नम्बर 246 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम रचकपुरा पटवार हल्का सैदरिया तहसील निवाई जिला टोंक में स्थित है जिसके वादीगण खातेदार काश्तकार है

Scanned with OKEN Scanner

वादीगण का उक्त भूमि से कोई सम्बध नही है अत प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा ाबन्द किया जाता है कि ख0न0 50, 57, 60, 69, 76, 82, 83 वाके ग्राम रचकपुरा तहसील ई में वादिया के कब्जे काश्त फसल बौने काटने में बाधा मजाहमत नही करे रूकावट पैदा करे। इस आशय की डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 20/8/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले ालय मे सुनाया गया।

सरिता मल्होत्रा
(आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक), निवाई

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलेक्टर(फास्ट ट्रेक) निवाई जिला टोंक

(सरिता मल्होत्रा आर.ए.एस. सहायक कलेक्टर(फास्ट ट्रेक)निवाई द्वारा अध्यासित)

(डिकी मुकदमा इब्तदाई)

दावा संख्या:- 287 / 2009

निर्णय दिनांक:- 20/8/24

उनवान

देवलाल बनाम प्रभुलाल वगै0

दावा बाबत

स्थायी निषेधाज्ञा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू सरिता मल्होत्रा आर.ए.एस व हाजरी श्री गिरधर सिंह तंवर वकील वादी मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है वादीया का वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि खसरा नम्बर 50 रकबा 2 बीघा 06 बिस्वा खसरा नम्बर 57 रकबा 15 बिस्वा खसरा नम्बर 58 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा खसरा नम्बर 60 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा खसरा नम्बर 64 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा खसरा नम्बर 66 रकबा 6 बीघा 08 बिस्वा खसरा नम्बर 69 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा खसरा नम्बर 72 रकबा 10 बीघा खसरा नम्बर 73 रकबा 2 बीघा 02 बिस्वा खसरा नम्बर 76 रकबा 2 बीघा 03 बिस्वा खसरा नम्बर 79 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा खसरा नम्बर 82 रकबा 05 बिस्वा खसरा नम्बर 83 रकबा 8 बीघा 03 बिस्वा खसरा नम्बर 246 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम रचकपुरा पटवार हल्का सैदरिया तहसील निवाई जिला टोक में स्थित है जिसके वादीगण खातेदार काश्तकार है प्रतिवादीगण का उक्त भूमि से कोई सम्बध नही है अत प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ख0न0 50, 57, 60, 69, 76, 82, 83 वाके ग्राम रचकपुरा तहसील निवाई में वादिया के कब्जे काश्त फसल बौने काटने मे बाधा मजाहमत नही करे रूकावट पैदा नही करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख माह सन् को जारी की गई।

सहायक कलेक्टर

(फास्ट ट्रेक), निवाई

Scanned with OKEN Scanner